

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- बन्शीधर योगी, आर.ए.एस.  
मुकदमा नम्बर 23/2023 राजस्व वाद

01. प्रताप सिंह पुत्र श्री हरिसिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) --- वादी

बनाम

01. कुलदीप सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह चारण आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. कैलाश कंवर पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. गिरवर सिंह पुत्र श्री ईश्वरदान चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. श्रीमती गोविन्द कंवर पत्नी श्री ईश्वरदान चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. पृथ्वीसिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह चारण आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. बृजराज सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह चारण आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. सनु कंवर पुत्री श्री रघुवीर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. ग्राम सेवा सहकारी समिति शाखा सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) -प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन,
2. एकपक्षीय-
3. परोकार सरकार

-अधिवक्ता प्रार्थीगण  
प्रतिवादीगण  
-अधिवक्ता-प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक- 13/08/2024

प्रार्थी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद सेहणुन्दा पटवार हल्का सेहणुन्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के नाम शामिल होती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामिल होने से मौके

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
सहायक कलेक्टर करेड़ा

पर सद्वैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई, चराई आदि में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैंने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

### आदेश

सरहद सेहणून्दा पटवार हल्का सेहणून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में आराजी नम्बर-1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1557, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565 कुल कित्ता 21 कुल रकबा 3.9075 हैक्टयर में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

(1) खातेदार का नाम- प्रताप सिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा 12/13 जाति चारण **मीना** कंवर पत्नी प्रताप सिंह 1/13 जाति चारण सा. देह खातेदार रहन जी.एस.एस शाखा सेहणून्दा हिस्सा प्रताप के नाम पर-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर में)
1	1533	0.1138 हैक्टयर
2.	1534	0.1012 हैक्टयर
3.	1535	0.1265 हैक्टयर
4.	1536	0.0379 हैक्टयर
5.	1537	0.2529 हैक्टयर
6.	1538	0.2529 हैक्टयर
7.	1539	0.2529 हैक्टयर
8.	1540	0.0126 हैक्टयर
9.	1541	0.3035 हैक्टयर
10.	1542	0.0632 हैक्टयर
11.	1543	0.3541 हैक्टयर
12.	1544	0.2656 हैक्टयर
13.	1545	0.0632 हैक्टयर
14.	1546	0.1138 हैक्टयर
15.	1557	0.2150 हैक्टयर

16.	1560/5	0.5821 हैक्टयर
17.	1561	0.0379 हैक्टयर
18.	1564/1	0.0312 हैक्टयर
योग	कुल किता 18	3.1803 हैक्टयर

(2) खातेदार का नाम-गोरधन लाल पुत्र श्री नैना हि. 1/2 सा. देह भीमराज पुत्र रामा हि 1/2 सा. पीपली का बाडिया जातियान गुर्जर खातेदार के नाम पर


क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	1560/2	0.1091 हैक्टयर
2.	1560/1	0.0448 हैक्टयर
3.	1562	0.0506 हैक्टयर
4.	1563	0.0379 हैक्टयर
योग	कुल किता 04	0.2424 हैक्टयर

(3) खातेदार का नाम- नाबालिग कुलदीप सिंह पुत्र रघुवीर सिंह नाबा. संरक्षक सरपरस्त माता रामकंवर हि. 1/5, नाबालिग पृथ्वी सिंह पुत्र रघुवीर सिंह नाबा. संरक्षक सरपरस्त माता रामकंवर हि. 1/5, नाबालिग बृजराज सिंह पुत्र रघुवीर सिंह नाबा. संरक्षक सरपरस्त माता रामकंवर हि. 1/5, अनु कंवर पुत्री रघुवीर सिंह 1/5, रामकंवर पत्नी रघुवीर सिंह 1/5 जाति चारण सा. देह खातेदार के नाम पर

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	1560/3	0.0701 हैक्टयर
2	1560/4	0.0286 हैक्टयर
3.	1564/2	0.1458 हैक्टयर
4.	1565	0.2403 हैक्टयर
योग	कुल किता 04	0.4848 हैक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री जारी हो, उक्तानुसार डिक्री जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 13/08/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)